# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

**अपील संख्या 112/16**
**आरसीएमएस संख्या(2016/00195)** **सन् 2016**

बउनवानी:—दशरथ सिंह पुत्र दयाल सिंह राजपूत निवासी फरिया, तहसील खण्डार व जिला ,स0मा0 बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार खण्डार की मिसल संख्या 231/16 निर्णय दिनांक 26.2.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री कुंजबिहारी शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— **दिनांक 7.8.2018**

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार खण्डार को मिसल संख्या 231/16 में पारित निर्णय दिनांक 26.2.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित कि गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2072 में वाके ग्राम फरिया तहसील खण्डार की गै0मु0 ब.का.च की भूमि आराजी ख0न0 1101/483 रकबा 15 बीघा पर सरसों की फसल काश्त व जोत लगा कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार खण्डार के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त मिसल संख्या 13/14 मे पारित निर्णय 23.9.2014 मे बेदखली के आदेश के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है जिसकी पुष्टि प्रकरण की रजू दिनांक एवं निर्णय दिनांक से होती है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के दादाजी स्व0 श्री मूल सिंह हवलादार को जयपुर रिसायत मे हवलदार पद पर रहते हुए द्वितीय विश्वयुद्व मे भाग लेने के एवज मे रियासत की ओर से 1949 में ग्राम फरिया एव दौलतपुरा में 2000 बीघा भूमि सेना से रिटायर्ड अधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थो को उनकी रैंक के हिसाब से काश्त हेतु भूमि आवंटित की गयी थी। जिसमे अपीलान्ट के दादाजी श्री मूल सिंह को भी 80 बीघा भूमि आवंटित की गयी थी। जयपुर रियासत के आदेशो की पालना नही होने पर एवं स्व0 श्री मूलसिंह एवं अपीलान्ट के पिता स्व0 श्री दयाल सिंह का निधन हो जाने पर अपीलान्ट की माता एवं अन्य 16 व्यक्तियों ने एक रिट माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच में पेश की जिसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार, जिला कलेक्टर सवाईमाधेपुर एवं तहसीलदार खण्डार को आदेश दिये गये कि रिटकर्ताओं द्वारा कब्जा शुद्व भूमि पर उनके नाम आदेशित भूमि के खातेदारी अधिकार थे। परन्तु तहसीलदार खण्डार ने उक्त आदेश की पालना करने के स्थान पर

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्ट के विरूद्व 91 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही कर आदेश बेदखली एवं पेनल्टी व सजा के दिये गये है पूर्व मे भी दिनांक 8.1.1997 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व निर्णय दिया था जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वार इस आदरणीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन कर नये सिरें से निर्णय पारित करने का निर्देश दिया था परन्तु फिर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने ही दिनांक 18.9.2015 जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अपील पेश की जिसपर दिनांक 19.1.2016 को स्वीकार करते हुए पुनः सुनवायी का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व के सभी निर्णयों को नजरअंदाज कर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मान0 राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट की जो प्रति प्रस्तुत की गयी है उसमे अपीलान्ट के पिता, माता अथवा दादा पक्षकार नही है ओर ना ही ख0न0 1101/483 जिसपर अपीलान्ट को सजा की गयी है का अंकन भी उक्त रिट याचिका मे नही है। ऐसी स्थिति उक्त निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हतु जारी नोटिस की तामील प्रति की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट के पिता करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त मिसल संख्या 13/14 मे पारित निर्णय 23.9.2014 मे बेदखली के आदेश के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट के पिता से करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चातवर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त मिसल संख्या 13/14 मे पारित निर्णय 23.9.2014 मे जारी बेदखली के आदेश के आधार पर हो जाती है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित की गयी भूमि के सम्बन्ध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदढ अभिलेख प्रस्तुत नही किया है, जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट का पूर्ववर्ति अतिचार साबित नही होता हो, तथा विवादित भूमि पर कब्जा होना स्वंय अपीलान्ट द्वारा स्वीकार किया है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी कब्जा यथावत है। अपीलान्ट द्वारा मान0राजस्थान उच्च न्यायाल में प्रस्तुत रिट के निर्णय की प्रति जो इस न्यायालय मे पेश की गयी है उसका भी अवलोकन किया गया जिसमे अपीलान्ट के पिता,माता अथवा दादाजी पक्षकार नही ओर ना ही ख0न01101/483 वाके ग्राम फरिया के संबंध में कोई निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये है। ऐसी स्थिति उक्त रिट याचिका इस प्रकरण पर लागू नही होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 7.8.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पी0सी0पवन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर